न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2024-7RAAJodhpur2024-02RTA223 Jasaram Vs Baburam etc

जसाराम पुत्र श्री हुकमाराम, जाति मेघवाल निवासी रामनगर तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. बाबुराम पुत्र मगाराम
2. भीयाराम पुत्र हुकमाराम
3. रामुराम पुत्र हुकमाराम
4. गोमीदेवी पत्नी हुकमाराम
   सभी जातिवान मेघवाल निवासीगण रामनगर तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।
5. फुलीदेवी पुत्री हुकमाराम पत्नी भीखाराम, जाति मेघवाल निवासी रामनगर, हाल निवासी खिरजा भोजा, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर।
6. सुगनोदेवी पुत्री हुकमाराम पत्नी चेतनराम, जाति मेघवाल, निवासी–रामनगर हाल निवासी–लुम्बानसर सुवालिया, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर।
7. नेमाराम पुत्र अनाराम, जाति मेघवाल, निवासी– रामनगर हाल निवासी शेरगढ़ तहसील शेरगढ जिला जोधपुर।
8. उप–पंजीयक शेरगढ
9. श्रीमान् तहसीलदार शेरगढ जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 जुलाई 2023 सहायक कलक्टर शेरगढ राजस्व मूल वाद संख्या 47/2021 बाबूराम बनाम जसाराम इत्यादि

उपस्थित–

श्री रोषनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट

श्री छोटूसिंह सोढा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक व सात

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या आठ व नौं

नि र्ण य

दिनांक : 23 अप्रैल 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 47/2021 अनवान बाबूराम बनाम जसाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 13 जनवरी 2023 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री 28 जुलाई 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील

अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 08 जनवरी 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम रामनगर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 834 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 835 रकबा 129 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 836 रकबा 6 बिस्वा के संबंध में धारा 53 एवं 188 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13 जनवरी 2023 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेष दिया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 जुलाई 2023 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए सर्वप्रथम कथन किया कि हस्तगत मामले में प्रारम्भिक डिक्री व अन्तिम डिक्री में समान पक्षकार होने के कारण तथा एक ही वाद से संबंधित होने के कारण अलग–अलग अपील प्रस्तुत नही कर एक साथ अपील प्रस्तुत की गई है, जिसकी माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के अधिकारी अपीलार्थी है।

तत्पष्चात अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किये गये थे। अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए, जिनकी ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन बिना किसी सहमति के ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। कानूनन प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य के पश्चात ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता था। इस कारण आलौच्य निर्णय बिना सहमति के जारी किया गया होने के कारण अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। विधि का सिद्धान्त की बंटवाडा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा ही तैयार किया जा सकता है, जबकि हस्तगत मामले में बंटवाडा प्रस्ताव भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है। इस कारण बंटवाडा प्रस्ताव सक्षम

अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किया गया होने के कारण माने जाने योग्य नहीं है। बंटवाडा तैयारी में प्रस्ताव विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विशेष खसरे में ही प्रत्यर्थी सं० 1 को सम्पूर्ण भूमि दे दी गई है, जिससे भी बंटवाडा में बंटवाड़ा नियमों की पालना नही होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जे को ध्यान में रखते हुए बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किये जाने का आदेश पारित किया गया था। विभाजन प्रस्ताव में अपीलार्थी के कब्जे व रहवास की भूमि प्रत्यर्थीगण के बंट में रख दी गई है, जबकि सभी पक्षकारों का बंटवाडा किया जाना नियमानुसार आवश्यक था। ऐसी स्थिति में आलोच्य निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुने बिना ही आलौच्य आदेश पारित किया गया है, जबकि अपीलार्थी द्वारा जवाब में बंटवाडा नहीं होना बताकर प्रकरण को खारिज किये जाने का निवेदन किया थां विचारण न्यायालय द्वारा बाले बाले ही बिना सुनवाई कर आलोच्य निर्णय पारित किया गया तथा दिनांक 30–12–2023 को प्रत्यर्थी सं० 1 द्वारा मौके पर आकर कब्जा खाली करने की धमकी दी, तब अपीलार्थी शेरगढ आया तथा पत्रावली के बारे में पता किया तो पत्रावली में फैसला होना बताया गया। जिस पर दिनांक 02–01–2024 को नकल हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 02–01–2024 को तैयार होकर प्राप्त हुई। उक्त नकल को पढने से प्रथम बार आलोच्य निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अपीलांट द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा जानबूझ कर या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई देरी नहीं की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का माफ किया जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13 जनवरी 2023 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28 जुलाई 2023 को अपास्त फरमाया जावे एवं मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने पर वह जरिये अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा अपीलांट के जमाबंदी में दर्ज हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है। अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री की एक ही अपील पेष की गई है जो कानूनन पोषणीय नहीं है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील अत्यंत विलंब से पेष की है, जिसका कोई विधिसम्मत कारण नहीं बतलाया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट पर सम्मनों की तामील होने पर वह दिनांक 27 अगस्त 2021 को जरिये अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो चुका था तथा विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री अपीलांट की उपस्थिति में पारित की गई है। अपीलांट का कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा उसके अधिवक्ता को सुने बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीयॉ पारित की है जो सद्भाविक एवं विष्वसनीय नहीं है। फिर भी न्याय हित में मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 13 जनवरी 2023 पारित कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 834, 835, 836 मौजा रामनगर में वादी एवं प्रतिवादीगण के दर्ज हिस्से

अनुसार राजस्थान काष्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स तथा रास्ते का भी प्रावधान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु तहसीलदार शेरगढ को निर्देषित किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 13 जनवरी 2023 में अपीलांट के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से मे किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 13 जनवरी 2023 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13 जून 2023 के अवलोकन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काष्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में मौके पर पक्षकारान् के कब्जे काष्त के अनुसार तैयार किया जाना पाया जाता है तथा सभी पक्षकारान् के आवागमन हेतु मौके पर रास्ते का प्रावधान रखा गया है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। अदालत हाजा की राय में केवल तकनीकी आधार पर मामले को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित नहीं है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 13 जनवरी 2023 तथा निर्णय एवं अंतिम डिक्री 28 जुलाई 2023 में गुणावगुण पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में उक्त निर्णय एवं डिक्रीयों में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 47/2021 अनवान बाबूराम बनाम जसाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 13 जनवरी 2023 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री 28 जुलाई 2023 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर